184

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3959—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—10—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 328/अपील/2012—13.

.....

महीपत सिंह तनय स्व0 श्री भूपेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम बरौ तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0 हाल मुकाम एल—5 .....
शंकर नगर कोलोनी शिवाजी नगर
भोपाल म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— जय सिंह पिता स्व0 श्री भूपेन्द्र सिंह
2— प्रभा सिंह पत्नी स्व0 भूपेन्द्र सिंह
दोनो निवासी ग्राम बरौ तहसील सेमरिया
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री राकेश कुमार निगम अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 त्रिपाठी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

1/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—10—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार सेमरिया के समक्ष नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते बटवारा पुल्ली दिनांक 19.4.08 को प्रस्तुत की गई

थी, जिसमें वर्णित था कि जय सिंह एवं महीपत सिंह जो कि सगे भाई है जो महीपत सिंह को हिस्से में प्राप्त बरौ की आराजी जय सिंह को दी जाय तथा जय सिंह की चचाई में प्राप्त आराजियां महीपत सिंह को दी जाय। उक्त विलेख लखने के पश्चात दोनों पक्षों ने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा उसी के आधार पर अपीलार्थी द्वारा नामांतरण अपने नाम कराया गया जो विधि सम्मत था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विचार किये उक्त नामांतरण आदेश खारिज कर दिया गया। इससे से परिवेदित होकर जयसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 24.12.12 को स्वीकार की गई जिससे से परिवेदित होकर महीपत के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 21–10–17 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक द्वारा अपनी लेख बहस प्रस्तुत की। अपनी लेखी बहस में कहा गया है कि स्व0 भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी गैर निगरानीकर्ता कमंक 2 एवं उनके पुत्रगण आवेदक एवंअनावेदक कमांक 1 को ग्राम बरौ एवं ग्राम चचाई में सहखाते की आराजियां प्राप्त हुई थीं दोनों पक्षों को हिस्से में प्राप्त आराजियों में कृषि करनेतथा उसकी व्यवसाी करेमें कठिनाई होती थी जिससे दोनों पक्षों ने आपस में मिल बैठकर एक विभाजन पुल्ली बतौर बदलानामा दिनांक 19.4.08 को गवाहों के समक्ष तैयार करवा कर अपने हस्ताक्षर किये थे । उक्त पुल्ली में यह उल्लेखित किया गया था कि ग्राम बरौं की समस्त आराजियां गैर निगरानीकर्ता कमांक –1 तथा ग्राम चचाई की समस्त आराजियां निगरानीकर्ता के हिस्से में दी जाती हैं। निगरानीकर्ता ने उक्त पुल्ली के आधार पर हिस्से में प्राप्त आराजियों के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। उभयपक्षों को तलब करउनकी उपस्थिति में प्रकरण में प्रस्तुतसाक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 15.11.12 को पारित किया गया उक्त आदेश के परिपालन में हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड अद्यतन कर ग्राम चचाई की भूमि आवेदक के नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज कर दिया । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21.10.13 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखा जावे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा अंत में कहा गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की जावे। तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21.10.13 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवालेकन से स्पष्ट है कि आवेदक महीपत सिंह द्वारा बटवारा आवेदन देने पर अनावेदक जय सिंह द्वारा आपत्ति की गई थी। दिनांक 10.6.11 को पंचनामा तैयार किया गया। जिसमें राजमणि पाण्डेय, श्यामलाल यादव सतन कुमार सिंह, रामायण सिंह के हस्ताक्षर हैं परन्तु अनावेदक क हस्ताक्षर नहीं है। हिस्सा बांट दिनांक 28.6.06 को की गई जिसकी एक फोटो प्रति पेश की गई परन्तु यह दस्तावेज मूलस्वरूप में नहीं है। पंचनामा में यह भी उल्लेख है कि महीपत सिंह अपनी मां की देखभाल नहीं करते हैं। बल्कि जय सिह द्वारा मां की सेवा की जा रही है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के आधार पर कार्यताही न कर अनावेदक के अधिकार को समाप्त कियागया जो उचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने नियमानुसार आदेश पारित किया है तथा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 27.6.95 के आधार पर सभी उत्तराधिकारयों को भूमियां दी गई। अनुविभागीय अधिकारी सिमौरजिला रीवा के प्रकरण कमांक 6/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24.12.12 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 328/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21.10.13 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर